प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 मई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री द्वारिकी यादव, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री द्वारिकी यादव, जो सिकारपुर, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ का निवासी है। पूर्व में हुयी कहासुनी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 20.05.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे की सरिया व तमन्चों से गोली मारकर अमरपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 661/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं०-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 25.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.01.2023 तक 14 वर्ष, 00 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.05.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के शरीरिक रूप से स्वस्थ्य होने, सहअभियुक्तों का वाद भी विचाराधीन होने व पुनः घटना कारित होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी कहासुनी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 20.05.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे की सरिया व तमन्चों से गोली मारकर अमरपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश्याम पुत्र द्वारिकी यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम (बन्दी संख्या-45943) पुत्र श्री द्वारिकी यादव, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-425/2025/3749(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-425/2025/3749/22-2-2023-17(1117)/2023

दिनांक 08 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री द्वारिकी यादव, जो सिकारपुर, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ का निवासी है। पूर्व में हुयी कहासुनी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 20.05.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे की सरिया व तमन्चों से गोली मारकर अमरपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 661/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं०-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 25.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 30.01.2023 तक 14 वर्ष, 00 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.05.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के शरीरिक रूप से स्वस्थ्य होने, सहअभियुक्तों का वाद भी विचाराधीन होने व पुनः घटना कारित होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

ो प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी कहासुनी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 20.05.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे की सरिया व तमन्चों से गोली मारकर अमरपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश्याम पुत्र द्वारिकी यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in